

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 50 / 2022

दायर दिनांक 15.07.2022

उनवान		
रामचन्द्री	बनाम	अंकुर

:- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट :-

निर्णय दिनांक: 18.10.2022

:-निर्णय:-

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया व प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री हरीश तुल्लिया हाजिर | हाजिर होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाही व आदेशिका पर अंगूठा निशानी की | मूल वाद 81/2022 में कार्यवाही ड्राप हो जाने से प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रही | अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्रावली में इसी स्तर पर कार्यवाही ड्राप की जाती है। दिनांक 15-07-2022 को जारी स्थगन अप्रभावी रहेगा | अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो | आदेश सुनाया गया |



(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

